

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठारीन अधिकारी श्रीमती सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 61 / 2022

उनवान

1-5 गुलाम मोईनुद्दीन, मोहम्मद शम्सुद्दीन, मोहम्मद सलीम, हाजी मोहम्मद इकबाल, हाजी मोहम्मद पुत्र हाजी जमालुद्दीन भाटी निवासी शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- सुगरा बाई पत्नी शम्बीर मोहम्मद मुसलमान निवासी संतोष कोलोनी पुलिस लाईन भीलवाड़ा
- 2- रंजिया बानू पत्नी अजीज मोहम्मद मुसलमान निवासी संतोष कोलोनी पुलिस लाईन भीलवाड़ा
- 3- सत्यनारायण पुत्र भूरालाल ब्राह्मण निवासी बदी का चौक शाहपुरा
- 4-5 शरीफ मोहम्मद, ईशाक मोहम्मद पुत्र अब्दुल रहमान मुसलमान निवासी मोहम्मद का चबुतरा शाहपुरा
- 6- सद्दाम खां पुत्र हमीद खां मुसलमान निवासी फुलिया गेट शाहपुरा
- 7- शम्बीर पुत्र खाजू खां मुसलमान निवासी बेरी नासन तहसील कोटडी
- 8- देवकिशन पुत्र लालू गुर्जर निवासी गौतम आश्रम के पास, होण्डा शेरूम के पीछे शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपस्थिति :- श्री संजय सिंह हाडा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-: निर्णय :-

दिनांक- 19.09.2022

प्रार्थीगण जी ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 11039/10529 रकबा 0.15 है0, 11040/10529 रकबा 0.82 है0 कुल किता 2 रकबा 0.97 हैकटेयर की प्रार्थीगण खातेदार कारतकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाबिन्द नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 3 लगायत 6, 8 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं0 1, 2, 7 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण के कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा संवत 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शाहपुरा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 2 रकबा 0.97 हैकटेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फीसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।



(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा